झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं0 2678 वर्ष 2022

लालो भूइया, उम्र लगभग 44 वर्ष, पुत्र किशुन भुइया, निवासी ब्लाक-टप्, कोइलरी, सोनारडीह, डाकखाना तथा थाना सोनारडीह, जिला धनबाद

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. एस0एन0 झा पुत्र स्व0 सृष्टि नारायण झा, निवासी आईटीओ वार्ड 1(4) धनबाद, आयकर भवन, लूबी सर्कुलर रोड, डाकखाना तथा थाना तथा जिला धनबाद

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री शैलेष, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी, विशेष लोक अभियोजक

उत्तरदाता सं0 2 के लिए : श्री आर0एन0 सहाय, अधिवक्ता

<u>निर्णय</u>

मा0 श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दोनों पक्षकारों को सुना।

2. इस आपराधिक विविध याचिका को आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन दण्डनीय अपराधों के अन्तर्गत पंजीकृत सी0ओ0 मामला सं0 14 वर्ष 2019 से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही तथा आदेश दिनांक 10.06.2022 जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद ने आरोप विरचित करने हेतु मामला नियत किया था तथा आदेश दिनांक 27.06.2022 जिसके द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन दण्डनीय अपराधों को करने हेतु याचिकाकर्ता के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया है का अभिखंडन करने के अनुरोध के साथ धारा 482 द0प्र0सं0 के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता बी0सी0सी0ए0 का कर्मचारी होते हुए, निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अपना दो आयकर विवरणी दाखिल किया था। पहला विवरणी अपनी कुल करयोग्य आय रू0 4,78,036/- बताते हुए 2-8-2013 को हाथ द्वारा दाखिल किया गया था तथा आयकर विभाग के समक्ष रू0 28,638/- के स्रोत पर काटे गये कर के विरूद्ध प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया था तथा तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने इस आशय का उक्त आयकर विवरणी के सत्यापन भाग में सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान पर कथन किया था कि उक्त

विवरणी तथा उपाबंध एवं इसके साथ कथन में जो भी आय प्रदर्शित की गई है सत्य एवं सही है। उपर्युक्त निर्धारण वर्ष हेतु दूसरे विवरणी को याचिकाकर्ता द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से 21-05-2014 को कुल कर योग्य आय रू0 1,35,260/- प्रदर्शित करते हुए दाखिल किया गया था तथा उक्त टीडीएस के विरूद्ध रू0 28,638/- के प्रतिदाय का दावा किया गया था एवं अभियुक्त ने उक्त विवरणी के सत्यापन भाग में सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान पर कथन भी किया था। अभियुक्त का मामला आयकर अधिनियम की धारा 147 के अधीन पुनः चालू किया गया था। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 131 के अधीन शपथ पर कथन 12-07-2017 को लेखबद्ध किया गया था। अभियुक्त/याचिकाकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार किया था तथा तत्पश्चात निर्धारण अधिकारी अभियुक्त को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद रू0 4,78,040/- के कुल आय पर 13-10-2017 को छानबीन निर्धारण पूरा किया था। 21-08-2018 को निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने निर्धारण अधिकारी के समक्ष अपना निवेदन दाखिल किया था। निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने अपने असली आय को छिपाया है तथा आय के गलत विशिष्टियों को देते हुए सुसंगत निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अपना आयकर विवरणी दाखिल किया है, अतः आयकर की धारा 276(ग) तथा 277 आकृष्ट होता है एवं तदनुसार संबंधित आयकर अधिकारी द्वारा दाखिल लिखित परिवाद के आधार पर पीठासीन अधिकारी, आर्थिक अपराध, धनबाद न्यायालय में सी0ओ0 मामला सं0 14 वर्ष 2019 पंजीकृत किया गया था तथा विद्वान पीठासीन अधिकारी ने संज्ञान भी लिया है तथा तत्पश्चात आरोप विरचित किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किये जाने के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरूद्ध मामला दाखिल किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी कुलआय रू0 4,78,036/- बताते हुए 02.08.2013 को हाथ द्वारा आयकर विवरणी दाखिल किया था तथा याचिकाकर्ता ने पुनः अपनी आय रू0 1,35,260/- बताते हुए 21.05.2014 को इलेक्ट्रानिक माध्यम से आयकर दाखिल किया था। दोनों विवरणी निर्धारण वर्ष 2013-14 के संबंध में दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ता ने आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन नोटिस प्राप्त किया था तथा वार्षिक आय की कुल धनराशि रू0 4,78,036/- स्वीकार किया है तथा रू0 35,440/- जमा किया है तथा इसे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि एक बार आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन नेटिस प्राप्त किया गया है तथा इसका अनुपालन किया

गया है, यह समझा जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 139 का अनुपालन किया गया है तथा याचिकाकर्ता ने अधिरोपित शास्ति धनराशि को संदत्त किया है तथा अपने दायित्व का निवर्हन किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि एक बार नोटिस का अनुपालन किया गया है, आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन परिवाद दाखिल करने की कोई गुंजाइश नही थी। अपने निवेदन की पुष्टि करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आपराधिक विविध याचिका सं0 1558 वर्ष 2011 में पारित ललन सा बनाम झारखण्ड राज्य तथा एक अन्य के मामले में इस न्यायालय के समन्वय पीठ के निर्णय दिनांक 28.07.2022 पर भरोसा किया है। अतः यह निवेदन किया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन पंजीकृत सी0ओ0 मामला सं0 14 वर्ष 2019 से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 10.06.2022 जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद ने आरोप विरचित किये जाने हेतु मामला नियत किया था तथा आदेश दिनांक 27.06.2022 जिसके द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन दण्डनीय अपराधों को करने के लिए याचिकाकर्ता के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया है तथा अभी मामला विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धनबाद के न्यायालय में लंबित है, को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

5. राज्य के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा उत्तरदाता सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तरीके से आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन दण्डनीय अपराधों के अन्तर्गत पंजीकृत सी0ओ0 मामला सं0 14 वर्ष 2019 से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही तथा आदेश दिनांक 10.06.2022 जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद ने आरोप विरचित किये जाने हेतु मामला नियत किया था तथा आदेश दिनांक 27-06-2022 जिसके द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन दण्डनीय अपराध करने हेतु याचिकाकर्ता के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया है तथा अभी मामला विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद के न्यायालय में लम्बित है का अभिखंडन तथा अपास्त किये जाने के अनुरोध का विरोध किया है। उत्तरदाता सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन अभियोजन शास्ति जिसे आयकर विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है का भुगतान करते हुए निर्धारिती द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 139 का प्रतीयमानतः अनुपालन किये जाने के बाद भी जारी रह सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि कर योग्य आय रू0

1,35,260/- प्रतिदाय रू0 29,780/- का चित्रण करते हुए याचिककर्ता के आयकर विवरणी को इलेक्ट्रानिक माध्यम से दाखिल किये जाने के पश्चात् जिसमें आयकर की धारा 244(क) के अधीन जारी ब्याज शामिल है जो याचिकाकर्ता द्वारा उक्त प्रतिदाय धनराशि के संग्रह किये जाने के तुल्य है। अतः आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन पृथक अपराधों को किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित नहीं किया जाना चाहिए तथा इस आपराधिक विविध याचिका को सभी गुणावगुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाय।

6. न्यायालय ने किये गये प्रतिद्वन्दी निवेदनों को सुनने के पश्चात तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के बाद उत्तरदाता सं0 2 द्वारा दाखिल प्रति शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि आयकर विभाग को जानकारी मिली थी कि याचिकाकर्ता ने सही आयकर विवरणी दाखिल नहीं किया है तथा आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन नोटिस याचिकाकर्ता को जारी किया गया था तथा इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता ने अपनी कुल कर योग्य आय रू0 4,78,036/- स्वीकार करते हुए आयकर विवरणी दाखिल किया था तथा विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया था एवं शास्ति अधिरोपित किया था। इस बात पर कोई विवाद नही है कि याचिकाकर्ता ने रू0 35,440/- का शास्ति धनराशि जमा किया है। आयकर अधिनियम की धारा 139(5) निर्धारिती को संशोधित विवरणी देने की अनुमति देता है यदि किसी व्यक्ति को किसी धनराशि का पता चलता है या इसके विवरणी में गलत कथन किया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् पठित हैः-

> **"148. नोटिस का जारी किया जाना जहाँ आय निर्धारण से छूट गया हैः-**
> धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुर्ननिर्धारण या पुर्नपरिकलन करने के पहले तथा धारा 148-क के प्रावधानों के अधीन, निर्धारण अधिकारी विहित प्रारूप में तथा विहित रीति में सत्यापित एवं इस प्रकार के अन्य विशिष्टियों को बताते हुए जैसा विहित किया जाय, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अनुरूप पूर्व वर्ष के दौरान अपनी आय के विवरणी या किसी अन्य व्यक्ति के आय जिसके संबंध में वह अधिनियम के अधीन निर्धारण योग्य है, को इस प्रकार के अवधि में देने की अपेक्षा करते हुए, जैसा इस प्रकार के नोटिस में विर्निदिष्ट किया जाय, धारा 148-क के खण्ड (घ) के अधीन पारित आदेश के प्रति के साथ, यदि अपेक्षित हो नोटिस निर्धारिती को तामील करेगा तथा इस अधिनियम का प्रावधान, यावतशक्य, तदनुसार लागू होगा मानो इस प्रकार का विवरणी धारा 139 के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित विवरणी था।"

पता चलता है कि आयकर अधिनियम की उक्त धारा 148 परिकल्पना करता है कि अधिनियम की धारा 147 के अधीन अन्य वातों के साथ किसी निर्धारण, पुर्ननिर्धारण या

पुर्नपरिकलन करने के पहले, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को पारित आदेश के प्रति के साथ नोटिस तामील करायेगा यदि निर्धारण निर्धारिती से अन्य बातों के साथ अपनी आय पर विवरणी देने की अपेक्षा करते हुए निर्धारिती द्वारा सही सही दाखिल नहीं किया गया है यदि विवरणी आयकर अधिनियम की धारा 139 के अधीन दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 149 से यह सुस्पष्ट है कि एक बार आय का नया विवरणी आयकर अधिनियम की धारा 148 के अधीन नोटिस के जवाब में दाखिल किया जाता है, यह अधिनियम की धारा 139 के धारणा अनुपालन के तुल्य है। यदि आयकर विभाग ने याचिकाकर्ता के शास्ति धनराशि के जमा को स्वीकार नहीं किया था, जिसके बारे में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 के अधीन नोटिस के बावजूद कोई विवाद नहीं है, अभियुक्त को भिन्न आधार में हिस्सा साझा करना चाहिए था लेकिन इस मामले में निर्विवादित रूप से, आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत निर्धारिती- याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब स्वीकार किया है, यह आयकर अधिनियम की धारा 139 के धारणा अनुपालन के तुल्य है। अतः इस मामले में आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन परिकल्पित दण्ड प्रावधान आकृष्ट नहीं होता है।

7. इसलिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद के न्यायालय में लंबित सी0ओ0 मामला सं0 14 वर्ष 2019 द्वारा याचिकाकर्ता के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना विधि के कार्यवाही के दुरूपयोग के तुल्य होगा तथा इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि यह उपयुक्त मामला है जहाँ आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन पंजीकृत सी0ओ0 मामला सं0 14 वर्ष 2019 से उद्भुत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 10.06.2022 जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धनबाद ने मामला आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत किया था तथा आदेश दिनांक 27.06.2022 जिसके हाथ आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन दण्डनीय अपराध किये जाने हेतु याचिकाकर्ता के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया है तथा अब मामला विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद के न्यायालय में लंबित है, को अभिखंडित तथा अपास्त किया गया।

8. तद्नुसार, आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन पंजीकृत सी0ओ0 मामला सं0 14 वर्ष 2019 से उद्भूत सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही तथा आदेश दिनांक 10.06.2022 जिसके द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद ने मामला आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत किया था तथा आदेश दिनांक 27.06.2022 जिसके द्वारा

आयकर अधिनियम की धारा 276(ग) तथा 277 के अधीन दण्डनीय अपराध किये जाने हेतु याचिकाकर्ता के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया है तथा अब मामला विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धनबाद के न्यायालय में लंबित है, को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

9. परिणामस्वरूप इस आपराधिक विविध याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

10. वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के निपटान के दृष्टिगत, आदेश दिनांक 19.09.2022 द्वारा याचिकाकर्ता को अनुदत्त अंतरिम अनुतोष को निष्प्रभावी किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 6 दिसम्बर, 2023
एएफआर/अनिमेश

यह अनुवाद (शिवाकान्त तिवारी) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।